चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 01.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2).आज दिनाँक- 01.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा निर्माणाधीन थाना प्रशासनिक भवन सरधुवा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण एवं समय से कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान उ0नि0 श्री अजहर जमाल,उ0नि0 श्री अनन्त तिवारी थाना सरधुवा व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थिति रहें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण

में प्रभारी कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा चोरी की 05 घटनाओं का खुलासा करते हुए 02 चोर को चोरी के सामान सहित घटना में प्रयुक्त 01 अदद मो0सा0, 01 अदद तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.दीपक गुरू पुत्र रामफल निवासी कछारपुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 32 वर्ष

2.राजकुमार पुत्र केशरी प्रसाद निवासी काजीपुरवा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा उम्र करीब 35 वर्ष

अपराधिक इतिहास ---

दीपक गुरू पुत्र रामफल निवासी कछारपुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 32 वर्ष

1.मु0अ0स0 19/2020 धारा 379/511 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

2. मु0अ0स0 29/2020 धारा 380/411 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

3. मु0अ0स0 224/2020 धारा 401 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

4. मु0अ0स0 283/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

5. मु0अ0स0 535/2024 धारा 331(4)/305/317(2)(4)(5) बीएनएस थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

6. मु0अ0सं0 536/2024 धारा 331(4)/305/317(2)(4)(5) बीएनएस थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

7. मु0अ0सं0 657/2024 धारा 331(3)/305/317(2)(4)(5) बीएनएस थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

8.मु0अ0सं0 42/26 धारा 331(4)व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

9.मु0अ0सं0 28/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

10.मु0अ0स0 31/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

11.मु0अ0सं0 55/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

12.मु0अ0स0 101/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।

राजकुमार पुत्र केशरी प्रसाद निवासी काजीपुरवा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा उम्र करीब 35 वर्ष

1. मु0अ0स0 535/2024 धारा 331(4)/305/317(2)(4)(5) बीएनएस थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

2. मु0अ0सं0 536/2024 धारा 331(4)/305/317(2)(4)(5) बीएनएस थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

3.मु0अ0सं0 42/26 धारा 331(4)व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

4.मु0अ0सं0 28/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

5.मु0अ0स0 31/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

6.मु0अ0सं0 55/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

7.मु0अ0स0 101/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।

बरामदगीः-

04 जोड़ी पायल सफेद धातू

02 नग बिछुवा

01 नग कर्धनी

02 नग सिक्के

18 नग बिछिया

01 नग चेन 995 ग्राम

24,000/- रूपये

01 अदद लोहे की रॉड

01 अदद लोहे की हथौड़ी
01 अदद तमंचा 315 बोर
03 अदद जिन्दा कारतूस
घटना में प्रयुक्त मो0सा0 होण्डा सीडी 110
गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-
रामसैया तिराहे से भरतकूप की तरफ कुछ आगे, दिनांक 01.03.2026 समय 01.40 am बजे
संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.02.2026 को उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी अभिषेक प्रताप के पेण्डिग विवेचना,तलाश वांछित/वारण्टी एवं आगामी होली त्यौहार की दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था,संदिग्ध व्यक्ति/ संदिग्ध वाहन की चेकिंग में खोही तिराहे पर मामूर थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली की 02 व्यक्ति भरतकूप की तरफ से मो0सा0 से रामसैया की ओर आ रहे जिनके पास चोरी का समान व अवैध तमंचा भी है अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह द्वारा उ0नि0 राजेश कुमार व उ0नि0 विवेक कुमार सिंह मकसद को अवगत कराते हुए मौके पर बुलाया गया। कुछ समय बाद उ0नि0 राजेश कुमार,उ0नि0 विवेक कुमार सिंह,आरक्षी शिवपूजन यादव,आरक्षी जयनारायण पटेरिया उपस्थित आये । एक दुसरे की जामा तलाशी ले देकर मुखविर के द्वारा बताये गये स्थान रामसैया तिराहे से भरतकूप की तरफ कुछ आगे पहुंचकर रोड पर उनके आने का इंतजार करने लगे कि भरतकूप की तरफ से एक मोटर साइकिल काफी तेजी से हमलोगों की तरफ आती दिखाई दी । मुखविर ने वाहनों के प्रकाश में देखकर बताया कि यह वही मोटर साइकिल है,जिससे दोनो व्यक्ति आ रहे है। मुखविर खास पीछे हटकर चला गया । मोटरसाइकिल को रोककर दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1.दीपक गुरू पुत्र रामफल निवासी कछारपुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट उम्र करीब 32 वर्ष जिसकी जामा तलाशी गयी तो 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस सहित 14,000/- रूपये बरामद हुआ तथा दुसरे व्यक्ति ने उसने अपना नाम 2.राजकुमार पुत्र केशरी प्रसाद निवासी काजीपुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 10,000/- रूपये बरामद हुए । बरामद बैंग की तलाशी ली गयी तो बैंग के अन्दर पेपर में लपेटकर प्लास्टिक की थैली में रखे 05 पैकेट बरामद हुए जिसकों बारी बारी खोलकर देखा गया तो पहले पैकेट में पायल लछीदार 01 जोड़ी,बिछिया 04 नग,दुसरे पैकेट में पायल 01 जोड़ी,छालर बिछिया 02 नग,बिछिया 02 नग,चेन 01 नग,तीसरे पैकेट में पायल 01 जोड़ी,बिछुआ 01 नग,सिक्के चांदी के 02 नग, चौथे पैकेट से करधनी 01 नग,बिछुआ 01 नग,तथा पांचवे पैकेट में पायल 01 जोड़ी,बिछिया 10 नग बरामद हुए साथ में 01 अदद लोहे की हथौड़ी,01 अदद लोहे की रॉड बरामद हुआ ।

पकड़े गये अभियुक्तों से कड़ाई से पूंछने पर दोनों व्यक्तियों ने एक स्वर में बताया कि पहले पैकेट से मिले सामान को साथी राजू पुत्र कंधीलाल उम्र करीब 32 वर्ष निवासी फतेहपुर बजारिया थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा व अवधेश श्रीवास पुत्र अज्ञात उम्र करीब 28 वर्ष निवासी मऊरानीपुर थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी के साथ मिलकर गोलतालाब पटेल नगर,भरतपुरी कर्वी,बनकट,इलाहाबाद रोड कछारपुरवा तथा खोही शिवरामपुर रोड से हम चारो लोगो ने रॉड व हथौड़े की सहायता से दुकान का ताला तोडकर चोरी किये थे। उपरोक्त चोरी के माल में से सोने तथा चांदी का कुछ सामान हम लोगो के दोनो साथी राजू व अवधेश श्रीवास बेचने के लिये ले गये है। जिसमें क्रमशः मु0अ0सं0 42/26 धारा 331(4)व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात मु0अ0सं0 28/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात, मु0अ0स0 31/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात,मु0अ0सं0 55/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात तथा मु0अ0स0 101/26 धारा 331(4) व 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

प्रकाश में आये अभियुक्तों से अवैध तंमचा व कारतूस रखने,मो0सा0 से सम्बन्धित कागजात मांगे गये तो नही दिखा सका अभियुक्तों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुये व कारण गिरफ्तारी बताते हुए बरामद शुदा सभी चोरी के सामान व तंमचा व कारतूस सहित कब्जा पुलिस में लेकर समय करीब 01.40एम. बजे हिरासत में लिया गया। बरामद सामाग्री व तमंचा के आधार पर मुकदमों धारा 137(2) व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। तथा घटना में प्रयुक्त मो0सा0 को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह थाना कोत0 कर्वी

2.उ0नि0 राजेश कुमार

3.उ0नि0 विवेक कुमार सिंह

4.आरक्षी शिवपूजन यादव

5.आरक्षी अभिषेक प्रताप

6.आरक्षी जयनारायण पटेरिया

गिरफ्तार करने वाली स्वाट/सर्विलांस टीम का नाम-

1.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा

2.मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया

3. आरक्षी रोहित सिंह

4. आरक्षी गोलु भार्गव

5..आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

6.आरक्षी पवन राजपूत

7.आरक्षी रोशन सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा कुल 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह यादव मय हमराही आरक्षी अनुज यादव थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु0अ0स0 1070/2016 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त बुद्धा पुत्र देवी निवासी टिकुरा चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री करन सिंह,उ0नि0 सुभाषराम मय हमराही आरक्षी शिवम मिश्रा थाना रैपुरा द्वारा अ0स0 39/10 धारा 325,323,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त 1.रामकिशोर पुत्र भोण्डा पाल उर्फ रामसुमेर 2. राजकुमार पुत्र भोण्डा पाल उर्फ रामसुमेर निवासीगण गड़रियन पुरवा मजरा बगरैही थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 श्री उ0नि0 सुरेश प्रताप सिंह,उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह मुख्य आरक्षी सौरभ कुमार थाना पहाड़ी द्वारा मु0अ0सं0 108/19 वाद सं0 45/20 धारा 279 /304 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त सुशील पुत्र भिखूराम निवासी दरसेडा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट तथा अ0सं0 1062/08 धारा 379/504/506/429/201भादवि के वारंटी अभियुक्त रामजी पुत्र हनुमान निवासी सिकरीया थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।